रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072020-220389
CG-DL-E-06072020-220389

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1970]	**नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2020/आषाढ़ 15, 1942**
No. 1970]	**NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2020/ASADHA 15, 1942**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, **6** जुलाई, 2020

आय-कर

का.आ. 2227(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त मद (ख) के प्रयोजनों के लिए, कारबार को ऐसे कारबार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक एफ सं0 13/3/2017-आई.एन.एफ. तारीख 13 अगस्त, **2018** द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में वर्णित अवसंरचना उपक्षेत्र की अद्यतन सुव्यवस्थित मास्टर सूची में वर्णित अवसंरचना उपक्षेत्रों में लगा हुआ है ।

2. अवसंरचना उपक्षेत्रों की उक्त सुव्यवस्थित मास्टर सूची में अवसंरचना उपक्षेत्रों के प्रति निर्देश में उक्त मद (ख) में पहले से ही उपबंधित कारबार सम्मिलित नहीं होगा ।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, **2021** से प्रवृत्त होगी और निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगी ।

[अधिसूचना सं0 44/2020/फा0सं0 370142/ 24 /2020-टीपीएल)]

नेहा सहाय, अवर सचिव

(कर नीति और विधान प्रभाग)